न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **स्वदीप सिंह**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 1716–पीबीआर/14 विरूद्ध आदेश दिनांक 21–4–2014 पारित द्वारा अपर आयुक्त, ग्वालियर, संभाग, ग्वालियर प्रकरण कमांक 774/12–13/अपील.

सुरेश चन्द्र पुत्र मायाराम
निवासी ग्राम करयावटी
तहसील डबरा, जिला ग्वालियर .....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती बैजयन्ती पुत्री प्रभुदयाल
पत्नी रामस्वरूप बरूआ
निवासी ग्राम अनन्त पेठ
तहसील डबरा, जिला ग्वालियर .....अनावेदिका

श्री अशोक भार्गव, अभिभाषक, आवेदक
श्री एस.के. बाजपेयी, अभिभाषक, अनावेदिका

:: आ दे श ::

(पारित दिनांक 29 नवम्बर, 2014)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश 21–4–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार हैं कि राजस्व निरीक्षक द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 22 पर दिनांक 24–10–1990 को वसीयत के के आधार पर आवेदक का नामांतरण स्वीकार किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध अनावेदिका द्वारा दिनांक 12–4–2013 को लगभग 22 वर्ष से भी अधिक विलम्ब से प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, डबरा, जिला ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत की । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 30–7–2013 को आदेश पारित कर अपील अवधि बाह्य होने से निरस्त की गई । अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर के समक्ष प्रस्तुत किए जाने पर अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 21–4–2014 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त की जाकर अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत अपील समय–सीमा में मान्य करते हुए प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी को विधि के सम्यक अनुक्रम में निराकरण हेतु प्रत्यावर्तित किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा दिनांक 12–11–14 को तर्क के दौरान अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण किए जाने का अनुरोध किया गया है । आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाए गए है :–

(1) अनावेदिका द्वारा विचारण न्यायालय के आदेश दिनांक 24–10–1990 की जानकारी गांव में आने पर तथा भूमि के विकय करने की बात सुनकर जनवरी, 2013 में होना बतायी गई है, उक्त अभिवचन से ही स्पष्ट था कि अनावेदिका असत्य कथन कर रही है, अनावेदिक का आवेदक या आवेदक के पिता से कोई संबंध होता तो वह पिता प्रभुदयाल की मृत्यु के बाद या दिनांक 24–10–1990 के बाद पुत्री होने के नाते विगत 23 वर्षों में निश्चित रूप से आती–जाती तथा अपनी भूमि के बारे में जानकारी रखती । इस बिन्दु पर विचार न कर अपील न्यायालय ने विलम्ब क्षमा करने में कानूनी भूल की है ।

(2) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी स्पष्ट था कि अनावेदिका द्वारा गांव में भूमि विकय करने की बात सुनकर जानकारी होना बताया है लेकिन अनावेदिका ने यह नहीं

बताया है कि भूमि विक्रय करने की बात किससे सुनी थी, और न ही भूमि विक्रय के संबंध में कोई ठोस सबूत पेश किया था, और न ही भूमि के विक्रय के संबंध में बताने वाले का शपथ पत्र प्रस्तुत किया था, इस पर विचार न कर विलम्ब क्षमा करने में कानूनी भूल की है।

(3) अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह भी स्पष्ट था कि अनावेदिका को विचारण न्यायालय की नकल दिनांक 21–02–2013 को प्राप्त हो चुकी थी । नकल मिलने के 1 माह 21 दिवस पश्चात अर्थात दिनांक 12–4–13 को अपील प्रस्तुत की गई है । इस अवधि के विलम्ब का भी कोई समुचित कारण नहीं बताया गया था, फिर भी अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र तकनीकी आधार मानकर विलम्ब क्षमा करने में कानूनी भूल की है ।

(4) अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आदेश के पद कमांक 2 में यह उल्लेख किया है कि अनावेदिका प्रश्नाधीन भूमि के स्वामी की पुत्री होने का तथ्य प्रकरण में आया है, इससे स्पष्ट था कि अनावेदिका ने भूमि स्वामित्व प्रभुदयाल की पुत्री होने के संबंध में कोई प्रमाण पेश नहीं किया था । अधीनस्थ न्यायालय का कर्तव्य था कि अनावेदिका से मृतक प्रभुदयाल की पुत्री होने बावत् उचित प्रमाण लेते, किन्तु ऐसा न कर मात्र अनुमान के आधार पर अपील स्वीकार करने में कानूनी भूल की है ।

(5) अधीनस्थ न्यायालय ने प्रथम अपील में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का जो निष्कर्ष निकाला है, वह अवधि विधान की धारा 25 एवं अन्य प्रावधानों के विपरीत है । अनावेदिका को कोई हक व अधिकार विवादित भूमि में नहीं है, और न ही अन्यथा भी आवेदक को कानूनी अवधि के अनुसार बहुमूल्य अधिकार प्राप्त हो गए हैं । 23 वर्ष की लम्बी अवधि तक भूमि के संबंध में अनावेदिका को कोई जानकारी न होना गंभीर लापरवाही एवं बेईमानी का प्रमाण है, मात्र तकनीकी आधार नहीं है ।

(6) अनावेदिका यदि वास्तव में विवादित भूमि में कोई स्वत्व रखती है, तो उसे पिता की मृत्यु के उचित समय बाद ही नामांतरण हेतु कार्यवाही करना चाहिए थी । 23 साल की

अवधि के बाद विवादित भूमि में अपना हक बताना स्वत्व का प्रश्न है, जिसके निराकरण का अधिकार एक मात्र सिविल न्यायालय को है ।

(7) अनावेदिका यह भलिभांति जानती थी कि सिविल न्यायालय में वाद प्रस्तुत करने पर उसका वाद अवधि बाह्य होने से निरस्त हो जावेगा, और न ही वह सिविल न्यायालय में अपना स्वत्व सिद्ध कर सकती है, इसलिए उसने असत्य जानकारी का आधार बताकर 23 साल बाद अपील प्रस्तुत की थी, जिसे प्रथम अपील न्यायालय द्वारा आदेश पारित कर विधि अनुसार विलंबित होने से निरस्त कर विधि सम्मत कार्यवाही की गई थी, जिसे निरस्त करने में अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा कानूनी भूल की है ।

4/ प्रत्युत्तर में अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि तहसील न्यायालय में वसीयत के आधार पर नामांतरण पंजी पर आदेश पारित किया गया है, जो पूर्णतः अवैधानिक एवं अनियमित आदेश है, जिसके संबंध में समय–सीमा लागू नहीं होती है । यह भी कहा गया कि आवेदक की ओर से अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि विधान की धारा 5 के आवेदन पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है, उसमें अनावेदिका की मां पारो होना स्वीकार किया गया है । अतः स्पष्टतः अनावेदिका मृतक भूमिस्वामी पारो की पुत्री है ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषकों द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । राजस्व निरीक्षक द्वारा आवेदक का नामांतरण, नामांतरण पंजी की प्रविष्टि कमांक 22 पर दिनांक 24–10–1990 को वसीयतनामा के आधार पर स्वीकार किया गया है । संहिता की धारा 109 एवं 110 के अंतर्गत राजस्व निरीक्षक को केवल अविवादित नामांतरण स्वीकार करने का अधिकार प्राप्त है, वसीयत के आधार पर नामांतरण पंजी पर नामांतरण आदेश पारित करने का अधिकार राजस्व निरीक्षक को नहीं है । अतः स्पष्टतः राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित आदेश पूर्णतः अवैधानिक होकर क्षेत्राधिकार रहित है, और क्षेत्राधिकार रहित आदेश के संबंध में समय–सीमा लागू नहीं होती है । इसके अतिरिक्त अभिलेख से स्पष्ट है कि अनावेदिका मृतक भूमिस्वामी पारो की पुत्री है, क्योंकि इस तथ्य को स्वयं आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अवधि विधान की धारा 5 के जवाब

में स्वीकार किया गया है । इसलिए मृतक भूमिस्वामी के वैधानिक उत्तराधिकारी को उसके स्वत्व से तकनीकी आधारों पर वंचित किया जाना वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही नहीं ठहराई जा सकती है । राजस्व निरीक्षक द्वारा नामांतरण पंजी पर आदेश पारित करने से संहिता की धारा 109 एवं 110 के अंतर्गत बने नियमों के नियम 27 का पालन भी नहीं हो पाया है, क्योंकि उक्त नियम के अनुरूप हितबद्ध पक्षकारों को व्यक्तिशः सूचना दिया जाना अनिवार्य आवश्यकता है । आवेदक की ओर से निगरानी मेमों में मुख्य रूप से यह तकनीकी आधार लिया गया है कि यदि अनावेदिका का उसके पिता से संबंध होता, और वह पिता के पास आती–जाती, तब निश्चित रूप से अपनी भूमि के बारे में जानकारी रखती, मान्य किए जाने योग्य नहीं है, क्योंकि इस संबंध में अनोवदिका की ओर से यह आधार अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष लिया गया है कि उसे आवेदक द्वारा प्रतिवर्ष भूमि का पैसा अथवा अनाज दिया जाता रहा है, जो जांच का विषय है । इसके अतिरिक्त आवेदक की ओर से निगरानी मेमों केवल तकनीकी आधार उठाए गए हैं, इस संबंध में पूर्व में ही विवेचना की जा चुकी है कि किसी भी व्यक्ति को तकनीकी आधार पर उसके स्वत्व से वंचित नहीं किया जा सकता है । दर्शित परिस्थितियों में अपर आयुक्त द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर उनके प्रस्तुत समक्ष अपील समय–सीमा में मान्य करने में वैधानिक एवं न्यायिक कार्यवाही की गई है, अतः उनका आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त, ग्वालियर संभाग, ग्वालियर द्वारा पारित आदेश दिनांक 21–4–2014 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(स्वदीप सिंह)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर